प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 06-02-2026 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को थाना डिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.2025 को वादी निवासी थाना डिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी को रास्ते मे घेरकर धारदार हथियार व डन्डो से जान की मारने की नियत से हमला करना व सिर मे चोट लगने से बेहोश हो जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना डिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना डिलारी पर मु0अ0सं0- 0234/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/126(2)/351(3)/109(6)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यावाही के क्रम में बयान, गवाहान व चिकित्सा परिपत्र के आधार पर अभियोग मे धारा 110 बीएनएस की वृद्धि की गयी। आज दिनांक 06.02.2026 को उ0नि0 श्री राजीव सिंह चौहान थाना डिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ अभियुक्त मौ0 शानिब पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. 350 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त को थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी, नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 06.02.2026 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा अभियुक्त रजत गुप्ता पुत्र रिशु गुप्ता निवासी मोहल्ला बाकलान कस्बा अगवानपुर थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद को 350 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया गया । जिस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0स0- 0060/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 13 व्यक्तियों व 01 वारंटी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

थाना भोजपुर-02, थाना कटघर-02, थाना डिलारी-02, थाना कांठ-01, थाना सिविल लाईन्स-02,
थाना छजलैट-03, थाना ठाकुरद्वारा-01

वारंटीः-

थाना मैनाठेर-01